

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 569 / 2012

संस्थापित दिनांक 25.07.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. मूंगाराम पुत्र हरप्रसाद जाटव उम्र—40
साल
2. सुरेश पुत्र हरप्रसाद जाटव उम्र—30
साल
3. प्रदीप पुत्र महेन्द्र जाटव उम्र—21साल
समस्त व्यवसाय खेती निवासीगण
जितवार का पुरा गोहद, जिलाभिण्ड

..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 09 / 10 / 2014 को घोषित किया)

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 324 / 34 के अपराध के आरोप है कि दिनांक 20 / 07 / 2012 के 8:00 बजे ग्राम जितवार सिंह कापुरा में फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व उपस्थित जनसमूह को क्षोभ कारित किया व फरियादी धुआराम की धारदार हथियार से काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी व आहत का आरोपी से आपसी राजीनामा हो गया है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी धुआराम ने मय घायल मनोज, रवि के साथ पुलिस थाना मौ में दिनांक 20 / 7 / 12 को उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि आज सुबह वह अपने खेत पर गया देखा कि उसमे कचरा डला था उसने

मूंगाराम से कहा कि उसके खेत में कचरा नहीं डाला इतने में मूंगाराम ने गाली गलोज करने लगा उसने गाली देने से मना किया मूंगाराम ने उसे धक्का देकर जमीन पर पटक दिया व सुरेश ने उसके बल्लम मारी जो दाहिने पैर की नरी में लगी चोट होकर खून बहने लगा एक डंडा प्रदीप ने मारा जो बाये हाथ की छुगली उगली में बगल वाली उगली में लगा चोट होकर छिलन है वह चिल्लाया तो मौके पर मनोज, व रवि आ गये जिन्होंने घटना देखी।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मौ द्वारा अप0क0 161/12 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 324/34 के आरोपो की विवेचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा।

6. प्रकरण में फरियादी द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को भा0द0वि0 की धारा 294 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि शेष धारा 324/34 शमन योग्य न होने के कारण विचारण किया जा रहा है।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह हैकि:-

1. क्या आरोपी ने फरियादी की धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर उपहति कारित की?

सकारण निष्कर्ष

8. धुआराम आ0सा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है इस साक्षी का कहना हैकि सुबह 8:00 बजे की बात है वह अपने खेत पर गया तो वहां पर मूंगाराम कचरा डाल रहा था उसने कचरा डालने से मना किया तो इसी बात पर मूंगाराम उसे गाली गलोज करने लगा जब उसने मना तो उसने जमीन पर पटक दिया जिससे की रिपोर्ट उसने थाना मौ पर की थी जो प्र0पी01 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है आरोपी ने किसी धारदार हथियार से नहीं मारा था पुलिस ने नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी02 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने घातक हथियार बल्लम से चोट पहुंचाई जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपी सुरेश ने घातक हथियार बल्लम से दाहिने पैर की पिडली में चोट पहुंचाकर उपहति कारित की थी। साक्षी के कथनो

से प्रथम सूचना रिपोर्ट व घटित अपराध का समर्थन नहीं होता है।

09. मनोज आ0सा02 यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है इस साक्षी का कहना है कि सुबह 8:00 बजे की बात है धुआराम व मूंगाराम के बीच गाली गलोज हो रहा था मूंगाराम ने धुआराम को जमीन पर पटक दिया जिससे उसे चोट आई थी। मूंगाराम ने किसी लाठी व धारदार हथियार से मारपीट नहीं की थी साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी सुरेश ने घातक हथियार बल्लम से चोट पहुंचाकर धुआराम को उपहति कारित की थी। साक्षी के कथनों से प्रथम सूचना रिपोर्ट व मेडीकल रिपोर्ट का समर्थन नहीं होता है।

10. प्रकरण में फरियादी व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी धुआराम आ0सा01, मनोज आ0सा02 ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये हैं उक्त साक्षी के कथनों से किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाये जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है।

11. प्रकरण में मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर था लेकिन अभियोजन साक्षी फरियादी धुआराम व साक्षी मनोज द्वारा अपने परीक्षण के दौरान धारदार हथियार से चोट पहुंचाये जाने से इंकार किया है फरियादी के कथनों से धारदार हथियार से चोट पहुंचाये जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है। फरियादी कथनों से धारदार हथियार से चोट पहुंचाये जाने की घटना पूर्णतः अप्रमाणित पाई गई।

12. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य पूर्णतः अप्रमाणित है कि आरोपीगण ने फरियादी को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर उपहति कारित की हो इसलिये भा.द.वि. की धारा 324/34 के अपराध पूर्णतः अप्रमाणित अवस्था में विद्यमान है।

13. प्रकरण में आरोपीगण के आरोपित आरोप भा.द.वि. की धारा 32/34 पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है अतः आरोपी को भा.द.वि. की धारा 324 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है उनके जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हैं।

14. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।

15. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

16. प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता / सही

जे0एम0एफ0सी0गोहद

हस्ता / सही

जे0एम0एफ0सी0गोहद